2012:CGHC:827-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक: 1931/2011

याचिकाकर्ता : संदीप शुक्ला

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

- **याचिकाकर्ता की ओर से:** श्री राजेश पाण्डेय, अधिवक्ता।
- **राज्य/उत्तरवादीगण क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से:** श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता।
- **उत्तरवादीगण क्रमांक 3, 17, 19, 23 एवं 26 की ओर से:** श्री संदीप दुबे एवं श्री अविनाश के. मिश्रा, अधिवक्तागण ।
- **उत्तरवादीगण क्रमांक 4, 10 एवं 22 की ओर से:** श्री संतोष भरत, अधिवक्ता।
- **उत्तरवादीगण क्रमांक 5 से 16, 18, 20 से 25 की ओर से:** श्री पी.एस. कोशी एवं श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता।

निर्णय / आदेश

(दिनांक: 12.07.2012)

1. याचिकाकर्ता, जो जनपद पंचायत कोटा, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष हैं, ने भारतीय संविधान के **अ**नुच्छेद 226 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें अपर कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2011 (अनुलग्नक-पी/1) तथा उक्त अपर कलेक्टर द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 01.04.2011 (अनुलग्नक-पी/5) को अभिखंडित करने की मांग की गई है। उक्त सूचना पत्र के माध्यम से जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु जनपद पंचायत, कोटा की बैठक आहूत की गई है।

2. याचिकाकर्ता, जनवरी 2010 में संपन्न चुनाव में उत्तरवादीगण क्रमांक 4 से 26 के साथ, जनपद पंचायत, कोटा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और तत्पश्चात दिनांक 29.03.2011 को जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा याचिकाकर्ता को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। कुछ निजी उत्तरवादीगणों ने कलेक्टर, जो कि विहित प्राधिकारी हैं, के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने उसी तिथि पर यह अवधारित करते हुए मामला अपर कलेक्टर को सौंप दिया कि कलेक्ट्रेट में प्रभावशील कार्य विभाजन ज्ञापन के अंतर्गत, अपर कलेक्टर को कोटा उप-संभाग के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। तत्पश्चात, अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया और दिनांक 09.04.2011 को जनपद पंचायत की बैठक आहूत की। उक्त बैठक से पूर्व ही यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी और अंतरिम आदेश दिनांक 08.04.2011 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि यदि दिनांक 09.04.2011 को संपन्न होने वाली बैठक में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सुनवाई की अगली तिथि तक उक्त प्रस्ताव के परिणाम को क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। उक्त अंतरिम आदेश अभी भी प्रभावशील है और इस प्रकार याचिकाकर्ता वर्तमान में भी पद पर बने हुए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 28 में निहित प्रावधानों के आलोक में, अपर कलेक्टर विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे, अतः संपूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण है और याचिका केवल इसी आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा ***अयोध्या बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2006 (2) सी.जी.एल.जे. 247*** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपर कलेक्टर, जिला कलेक्ट्रेट में प्रचलित कार्य विभाजन ज्ञापन के अधीन कलेक्टर के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 17 एवं 21 सहपठित छत्तीसगढ़ सामान्य निर्वचन अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के आलोक में, यह मामला अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभाव का नहीं है। साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ***अयोध्या (पूर्वोक्त)*** के मामले में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अधिनियम, 1993 की धारा 28(2) निम्नानुसार है :-

"**28. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव -**

(1) **XXX XXX XXX**

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेंगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्य भाग लेने का अधिकार होगा।"

6. उक्त प्रावधान के पठन से यह प्रतीत होता है कि विधायिका ने उस अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया है जो विहित प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, बल्कि उक्त शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित कर दी गई है, जो किसी भी अधिकारी को विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

7. अधिनियम, 1993 की धारा 2 की खण्ड 21 सहपठित धारा 93 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक 705/पी/22/2003 दिनांक 13.05.2003 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि तालिका के स्तंभ क्रमांक-2 में वर्णित अधिकारी या प्राधिकारी, उसके स्तंभ-3 की संबंधित प्रविष्टि में वर्णित अधिनियम की धाराओं के प्रयोजन हेतु विहित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस रिट याचिका के प्रयोजनों के लिए सुसंगत प्रविष्टि जो है वह प्रविष्टि (15) है। उक्त प्रविष्टि के अंतर्गत, कलेक्टर को अधिनियम की धारा 28(2) के प्रयोजन हेतु विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अधिनियम की धारा 28(2) में प्रयुक्त भाषा के आलोक में, जिला कलेक्टर—जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है—विहित प्राधिकारी के उक्त कार्यों को निष्पादित करने के लिए किसी अपर कलेक्टर को पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं, जबकि उक्त अपर कलेक्टर को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

9. सूत्र "डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर", जिसका अर्थ है कि "प्रत्यायोजित शक्ति को पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता", की व्याख्या और इसकी प्रयोज्यता का निर्वचन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***बेरियम केमिकल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड एवं अन्य ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 295*** के मामले की कण्डिका 36 में इस प्रकार की गई है:

"(36) किन्तु सूत्र "डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर" (प्रत्यायोजित शक्ति को पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता) को बहुत अधिक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। यह सूत्र विधि के किसी नियम को समाहित नहीं करता है। यह किसी संविधि या अधिकार प्रदान करने वाले अन्य लिखत के निर्वचन के नियम को इंगित करता है। प्रथम दृष्टया, किसी संविधि द्वारा किसी प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार का उद्देश्य उसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाना होता है, न कि किसी अन्य द्वारा। किन्तु, संविधि की भाषा, विस्तार या उद्देश्य में किसी विपरीत संकेत द्वारा इस आशय को नकारा जा सकता है। ऐसा निर्वचन अपनाया जाना चाहिए जो संविधि के प्रयोजन और उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त कर सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बलवंत राव चव्हाण (1989) 3 एस.सी.सी 132 के मामले में, निर्णय की कण्डिका 20 में निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"20. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कार्य और आचरण को विनियमित करने की कुलपति की अभिव्यक्त शक्ति में अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति भी अंतर्निहित है। हम इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। प्रथम, अधिकारियों के कार्य और आचरण को विनियमित करने की शक्ति में उन्हें सेवा से पृथक करने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति सम्मिलित नहीं हो सकती। द्वितीय, यह अधिनियम 'कार्यकारी परिषद' को अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है और इसमें सामान्यतः हटाने की शक्ति भी शामिल होती है। यह शक्ति अधिनियम की धारा 24(1)(**xxix**) के अंतर्गत निहित है। अतः, यह तर्क देना निरर्थक है कि कुलपति उस

शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो कार्यकारी परिषद को प्रदान की गई है। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अधिनियम किसी विशिष्ट निकाय को शक्ति के प्रयोग हेतु विहित करता है, तो उसका प्रयोग केवल उसी निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अन्य व्यक्तियों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे प्रत्यायोजित न किया गया हो। विधि में ऐसे प्रत्यायोजन का प्रावधान भी होना चाहिए। ***हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड*** (खण्ड-I, चतुर्थ संस्करण, कण्डिका 32) इन सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत करता है:"

"32. **शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन:** सूत्र "डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर" के अनुसार, किसी सांविधिक शक्ति का प्रयोग केवल उसी निकाय या अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिसे वह सौंपी गई है, जब तक कि स्पष्ट शब्दों या आवश्यक विवक्षा द्वारा शक्ति के उप-प्रत्यायोजन को अधिकृत न किया गया हो। विधायी, न्यायिक या अनुशासनात्मक शक्ति के अनुदान को निहित रूप से उप-प्रत्यायोजन के लिए अधिकृत मानने के विरुद्ध एक प्रबल उपधारणा होती है; और यही बात ऐसी किसी भी शक्ति के बारे में कही जा सकती है जिसके प्रयोग के लिए नामित निकाय को अपने स्वयं के विवेक का उपयोग करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***साहनी सिल्क मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड एवं अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (1994) 5 एस.सी.सी. 346*** के मामले में, निगम द्वारा किए गए उप-प्रत्यायोजन पर विचार करते हुए, जो स्वयं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 94-क के अंतर्गत एक प्रत्यायोजित संस्था के रूप में कार्य कर रहा था कि, निर्णय की कण्डिका 10 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

10. जहाँ तक वर्तमान धारा 94-क का संबंध है, यह प्रावधान करता है कि निगम, इस संबंध में निगम द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम के अधीन, यह निर्देश दे सकता है कि वे विशिष्ट शक्तियाँ और कार्य जिनका प्रयोग या निष्पादन निगम द्वारा किया जा सकता है, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें निर्दिष्ट किया जाए, "निगम के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किए जा सकेंगे"। धारा 94-क विशेष रूप से यह प्रावधान नहीं करती है कि निगम का कोई भी अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे निगम द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, अपनी ओर से किसी अन्य अधिकारी को उस शक्ति या कार्य के प्रयोग या निष्पादन के लिए अधिकृत कर सकता है। किंतु, दिनांक 28.02.1976 के संकल्प के माध्यम से निगम ने न केवल अधिनियम की धारा 85-ख(1) के अंतर्गत अपनी शक्ति महानिदेशक को प्रत्यायोजित की है, बल्कि महानिदेशक को किसी अन्य अधिकारी को उक्त शक्ति के प्रयोग हेतु अधिकृत करने के लिए भी सशक्त किया है। "जब तक यह न माना जाए कि अधिनियम की धारा 94-क, निगम को अपनी किसी भी शक्ति और कार्य को निगम के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करने में सक्षम बनाती है, और वह (अधिकारी) अपनी बारी आने पर उक्त शक्ति के प्रयोग को किसी अन्य अधिकारी को उप-प्रत्यायोजित कर सकता है, तब तक दिनांक 28.02.1976 के संकल्प के अंतिम भाग को धारा 94-क के ढांचे के भीतर नहीं माना जा सकता। हमारे अनुसार, संसद ने अधिनियम में धारा 94-क को सम्मिलित करते समय, केवल निगम द्वारा अपने अधीनस्थ विभिन्न अधिकारियों या प्राधिकारियों को प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन की ही कल्पना की थी, और ऐसे प्रत्यायोजित व्यक्ति के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पास किसी अन्य अधिकारी को उस शक्ति के प्रयोग या निष्पादन हेतु अधिकृत करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

एक बार फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम भूपेंद्र सिंह (2000) 1 एस.सी.सी. 555*** के मामले में, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति की वैधता पर विचार किया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब शक्ति जिला दण्डाधिकारी को प्रदान की गई हो, तो अपर जिला दण्डाधिकारी उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, भले ही राज्य सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई हो कि अपर जिला दण्डाधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। निर्णय की कण्डिका 4, 5 और 6 में निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"4. उत्तरवादीगण के विरुद्ध अभियोजन की सहमति संबंधित जिले के अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी और इस संबंध में, अपीलार्थी की ओर से दिनांक 24.04.1995 को जारी अधिसूचना का अवलंब लिया गया, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी ने संयुक्त कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी को ग्वालियर जिले के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया था और यह निर्देशित किया था कि वह "उक्त संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत या तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रदत्त जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा"। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बाद वाली अधिसूचना के कारण, केंद्र सरकार द्वारा जिला दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत शक्तियाँ अब अपर जिला दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित हो गई हैं और तदनुसार, उत्तरवादीगण के अभियोजन हेतु उनके द्वारा दी गई सहमति वैध थी।"

5. इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है। उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सहमति प्रदान करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। केंद्र सरकार ने इसे जिला दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित किया है। हमारी दृष्टि में, राज्य सरकार के लिए यह उचित/वैधानिक नहीं है कि वह केंद्र सरकार की उस शक्ति को आगे अपर जिला दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित करे, जिसे केंद्र सरकार ने पहले ही जिला दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित किया हुआ है।"

6. इस न्यायालय का ***हरी चंद अग्रवाल बनाम बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड*** के मामले में दिया गया निर्णय भी कुछ हद तक सुसंगत है। इस न्यायालय ने कहा था कि जहाँ भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अधिसूचना के आधार पर, केंद्र सरकार ने धारा 29 के अंतर्गत अपनी शक्तियों को जिला दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित किया था, वहाँ अपर जिला दण्डाधिकारी धारा 29 के अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण करने हेतु सक्षम नहीं था; मात्र इसलिए कि उसे [दंड प्रक्रिया संहिता की] धारा 10(2) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी की समस्त शक्तियों प्रदान किया गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसी प्रावधान और अधिसूचना पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने ***अयोध्या (पूर्वोक्त)*** के मामले की कण्डिका 6, 7 और 8 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

"6. हमारे उद्देश्य के लिए सुसंगत प्रविष्टि जो है वह प्रविष्टि (15) है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट, सुबोध, सटीक और असंदिग्ध है, और इस बारे में कि अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 'विहित प्राधिकारी' कौन होना चाहिए, इसके एक से अधिक अर्थ नहीं निकलते हैं। उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के अनुसार, धारा

28 की उपधारा (2) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केवल कलेक्टर द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 16 में 'कलेक्टर' शब्द को परिभाषित किया गया है, और उस परिभाषा के अनुसार 'कलेक्टर' शब्द में अपर कलेक्टर भी सम्मिलित है; इसलिए, 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने हेतु बैठक आहूत करने के उत्तरवादीगण क्रमांक 3 के प्राधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा ***कौशल प्रसाद कश्यप बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में सार प्रतीत होता है और विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्क में कोई गुणवत्ता नहीं मिलती है। यह अधिनियम 'कलेक्टर' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अतः, सामान्य परिस्थितियों में और यदि दिनांक 13 मई, 2003 की अधिसूचना क्रमांक 705/पी/22/2003 अस्तित्व में नहीं होती, तो मैं 'भू-राजस्व संहिता' की धारा 16 के अंतर्गत परिभाषित 'कलेक्टर' शब्द की परिभाषा का अनुसरण कर सकता था। किन्तु, ऐसा मार्ग अपनाया जाना अस्वीकार्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (3) सहपठित धारा 2 की खंड (**xxi**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13-05-2003 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

8. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी विधिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, चाहे वह सांविधिक प्रावधान हो या प्रत्यायोजित विधान,

न्यायालय को ऐसे प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को सार्थकता और अर्थ प्राप्त हो, और इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि कोई शब्द या अभिव्यक्ति को व्यर्थ , अनावश्यक या अतिरेक बना दे। दिनांक 13 मई 2003 के शासकीय आदेश के साथ संलग्न तालिका का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी (सरकार) ने जहाँ भी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शक्तियाँ कलेक्टर के साथ-साथ अपर कलेक्टर को भी समानवर्ती रूप से प्रदान करना चाहा है, उसने ऐसा वहाँ किया है; जहाँ वह कुछ शक्तियाँ विशेष रूप से केवल कलेक्टर और राज्य के अन्य नामित अधिकारियों को ही प्रदान करना चाहता था, उसने तदनुसार ऐसा निर्देश दिया है। "उदाहरण के लिए, धारा 23(1), 28(2), 31, 33 'क' और कुछ अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ अनन्य रूप से केवल कलेक्टर को प्रदान की गई हैं, जबकि कई अन्य धाराओं जैसे धारा 25(2), 33, 32(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु कलेक्टर के साथ-साथ अपर कलेक्टर को भी समानवर्ती रूप से सशक्त किया गया है। यह सरकार द्वारा सचेत रूप से और जानबूझकर किया गया है। यदि सरकार 'कलेक्टर' शब्द का अर्थ 'अपर कलेक्टर' भी मानती, तो प्रविष्टि 12, 17, 18, 20, 24(2), 25(2), 26(2), 27, 28(2), 29(1), 32(2), 33(1) और (2), 34(2), 36(2), 37(1), 39(2), 41(1) और 44(2) में 'अपर कलेक्टर' शब्द का उल्लेख करने की कतई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस स्थिति में 'कलेक्टर' का अर्थ स्वतः ही 'अपर कलेक्टर' होता। अतः, धारा 28(2) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केवल कलेक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए था, न कि अपर कलेक्टर द्वारा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और ***अयोध्या (पूर्वोक्त)*** के मामले में इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की कण्डिका 7 में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसके आलोक में उत्तरवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क निराधार है कि—चूंकि वर्तमान मामले में अविश्वास प्रस्ताव शुरू में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने कार्य विभाजन ज्ञापन के अंतर्गत इसे अपर कलेक्टर को हस्तांतरित किया, इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर को विहित प्राधिकारी नियुक्त करने वाली अधिसूचना के दृष्टिगत, कार्य विभाजन ज्ञापन पर अमल नहीं किया जा सकता है; इसका उपयोग केवल वहां किया जा सकता है जहां कलेक्टर के साथ-साथ अपर कलेक्टर को भी विहित प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया हो, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ***अयोध्या (पूर्वोक्त)*** मामले की कण्डिका 8 में पाया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्य विभाजन ज्ञापन की आड़ लेकर किसी सांविधिक अधिसूचना को अधिक्रमित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामला, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु जनपद पंचायत की बैठक आहूत करने के लिए अपर कलेक्टर के प्राधिकार में क्षेत्राधिकार के अभाव का है; अतः, बैठक आहूत करना ही क्षेत्राधिकार विहीन है और यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रस्ताव बाद में पारित हुआ, तब भी यह अभिवचन कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति हुआ है यह प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए प्रस्ताव का परिणाम दूषित नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं की जा सकती। जब प्राधिकारी के पास क्षेत्राधिकार का ही अभाव हो और प्रस्ताव पर विधि के अभिव्यक्त प्रावधानों के अनुसार विचार न किया गया हो, तो 'क्षति' का उक्त तर्क लागू नहीं होता है। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपर कलेक्टर अधिनियम की धारा 28(2) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे और अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बैठक आहूत करने की समस्त कार्यवाही दूषित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में, यह रिट याचिका सफल होती है और इसे **स्वीकार** किया जाता है। अनुलग्नक-पी/1 के माध्यम से संस्थित की गई कार्यवाही और अपर कलेक्टर द्वारा अनुलग्नक-पी/5 के माध्यम से जनपद पंचायत की बैठक आयोजित करने हेतु जारी किया गया सूचना पत्र, साथ ही जनपद पंचायत की आगामी/पारिणामिक बैठक को अभिखंडित किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-
पी.के. मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate